फर्द अहकाम

नाम न्यायालय बनाम

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	01/03/24	पत्र० प्रस्तुत हुई। पत्रावली तथा उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ण नम्बर से मय [illegible] हो बाद दाखिल दफ्तर हो। sd/- सहायक [illegible] (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

न्यायालय सहायक
पीठ
मुकदमा नं0:—27 / 2019
1. भैरु पुत्र श्री मां
2. गुटा पुत्र श्री म
3. गोपाल पुत्र श्र
4. श्योनाथ पुत्र
समस्त जाति अ
राजस्थान स

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–27/2019

उनवान

1. भैरु पुत्र श्री मांगू, उम्र 70 वर्ष
2. गुटा पुत्र श्री मांगू, उम्र 68 वर्ष
3. गोपाल पुत्र श्री मांगू, उम्र 66 वर्ष
4. श्योनाथ पुत्र श्री मांगू, उम्र 63 वर्ष

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम देवथला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89बी व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–01.03.2024

वादीगण द्वारा वाद पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण वाके ग्राम देवथला, तन निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं, जोकि काश्त कर अपना जीवन यापन करते हैं। वाके ग्राम देवथला, पटवार हल्का निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नं0 660 रकबा 0.35 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि वादपत्र में विवादग्रस्त है। उक्त भूमि खसरा नं0 660 रकबा 0.35 है0 पर अरसा दराज कदीमी से वादीगण के दादा, परदादा व उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण का ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नं0 660 रकबा 0.35 है0 के गत खसरा नं0 284 हैं। विवादग्रस्त भूमि की गिरदावरी सम्वत् 2013 से 2018 तक मांगू पुत्र जीवण के नाम से चली आ रही है। सम्वत् 2019 से सम्वत् 2023 में सैटलमेन्ट की गलती से विवादग्रस्त आराजी महाराजा संग्रामसिंह पुत्र महाराज महारावत फतेहसिंह ठिकाना सामोद के नाम से गलती से दर्ज हो गई। जबकि विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण के दादा जीवण व पिता मांगू अहीर काबिज रहे हैं, उनकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण विवादग्रस्त आराजियात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं व पटवारी हल्का निवाणा के तत्कालीन पटवारी रामकिशन मीणा द्वारा सम्वत् 2053 में अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की गरज से गलत नक्शा बनाकर प्रस्तुत कर दी गई जिससे विवादग्रस्त भूमि सिलिंग सिवाय चक में दर्ज हो गई थी। इसके पश्चात् विवादग्रस्त आराजी की पैनल्टी भी सम्वत् 2056 से लेकर लगातार 2072 तक वादीगण ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:51:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

जमा करवाते आ रहे हैं। विवादग्रस्त आराजी की खसरा परिवर्तित निर्धारण भी प्रतिवादी के नाम से ही वर्तमान में चली आ रही है। उक्त विवादित भूमि पर वादीगण द्वारा काबिजकाश्त होकर अरसा दराज से फसल उत्पादित कर उपयोग उपभोग में लेकर समस्त लाभ प्राप्त किये जा रहे हैं। वादीगण विवादग्रस्त भूमि पर चले आ रहे अरसे दराज के कब्जे व उपयोग उपभोग के आधार पर व सैटलमेन्ट विभाग द्वारा सम्वत् 2019 से 2023 की गिरदावरी में गलती से महाराजा फतेहसिंह ठिकाना सामोद के नाम से दर्ज केये जाने के कारण की गई गलती को दुरुस्त करवाकर विवादग्रस्त भूमि का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व बतौर खातेदार वर्तमान राजसव रिकॉर्ड जमाबन्दी में स्वयं का नाम दर्ज करवाने के कानूनन हक अधिकारी हैं। जिस बाबत वादीगण द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत् निवेदन किया जा चुका है परन्तु प्रतिवादी द्वारा वादीगण के निवेदन को स्वीकार नहीं किया गया है ना ही वादीगण को उक्त विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। दिनांक 10.08.2019 को प्रतिवादी के अधीनस्थ कार्यरत पटवारी हल्का निवाणा द्वारा विवादग्रस्त भूमि में मौके पर आकर वादीगण की फसल को जबरिया नष्ट करवाकर भूमि खाली करवाने की धमकी दी गई जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर भूमि विवादग्रस्त पर चले आ रहे अर्से दराज से कब्जे एवं स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये परन्तु प्रतिवादी द्वारा वादीगण के कब्जेकाश्त के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित नहीं कर जबरिया बेदखल करने की धमकी दी गई जिस कारण वादीगण को उक्त वादपत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ है।

वादीगण द्वारा वादपत्र मय शपथ पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा है कि वाद बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का डिक्री फरमाया जाकर गत राजस्व रिकॉर्ड एवं वादीगण के कब्जेकाश्त को देखते हुए तथा सैटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई गलती को दुरुस्त करवाते हुए वादीगण को विवादग्रस्त भूमि खसरा नं0 660 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वर्तमान राजसव रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम का अंकन किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी वादीगण को उनके अर्से दराज से चले आ रहे निर्बाध कब्जे की भूमि से ना तो स्वयं बेदखल करे, ना ही बेदखल करने की धमकी दे, ना ही बेदखल करने के संबंध में विभागीय कार्यवाही करे, ना ही उक्त विवादग्रस्त भूमि को किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को हसतानान्तरित करें, ना ही उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी स्वयं करें व ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें।

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। पत्रावली व लिखित बहस तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण को राजस्व ग्राम भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के हाल खसरा नं0 1801 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 1794 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1795 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.53 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व तदनुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम इन्द्राज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व लिखित बहस का अध्ययन किया गया। वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चली आ रही खातेदारी भूमि का पुश्तैनी कब्जेकाश्त के आधार पर स्वयं के नाम से घोषणा करवाना चाहते हैं। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की वृहत्त बैंच ने भी एडवर्स पजेशन के संबंध में सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जे) के आधार पर किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त कर अन्य की खातेदारी की घोषणा एडवर्स पजेशन के आधार पर नहीं की जा सकती। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

में उक्त वाद में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी में सहवन से रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज हुआ है।

अतः वादीगण का वाद साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner